



Neutral Citation No.- 2026:AHC:55464

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 2039 वर्ष 2026

राहुल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता: राहुल कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सेवक राम द्विवेदी, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक राहुल की ओर से थाना मोहाना, जिला सिद्धार्थनगर के अपराध संख्या 61/2025, धारा 3(5), 109(1) बी.एन.एस. के तहत जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. संक्षेप में, एफआईआर में निहित आरोप के अनुसार, आवेदक सहित तीन अभियुक्तों ने पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी की, लेकिन इस मामले में किसी को कोई चोट नहीं आई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त-आवेदक ने एफआईआर में कथित कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 11.7.2025 से जेल में बंद है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान एफआईआर मोहाना के थाना प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा द्वारा दर्ज की गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह बिना चोट का मामला है जिसमें आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा किसी भी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं आई है, जबकि सह-अभियुक्त इरशाद को पुलिस की गोलीबारी में स्वयं चोटें आई हैं।
6. यह तर्क दिया गया है कि पुलिस द्वारा आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के कब्जे से झूठी बरामदगी दिखाई गई है, लेकिन बरामदगी मेमो तैयार करने और आवेदक की गिरफ्तारी के समय कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय गवाह मौजूद नहीं था। यह आगे तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त समान भूमिका वाले इरशाद को इस न्यायालय द्वारा पहले ही दिनांक 5.1.2026 को पारित आपराधिक विविध के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत आवेदन संख्या 43218/2025 और इस मामले में समानता की मांग की गई है।
7. यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है जिसे आवेदक की ओर से दायर पूरक शपथ पत्र के पैराग्राफ 3 में स्पष्ट किया गया है। दलील यह है कि मुकदमे के निष्कर्ष में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय के मार्ग से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि परीक्षण-पूर्व चरण में आवेदक की बेगुनाही का निर्णय नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी राहत का पात्र नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से समान गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार, इस मामले में आरोप पत्र पहले ही 30.6.2025 को प्रस्तुत किया जा चुका है।
9. उपरोक्त पक्षों की दलीलों के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि किसी भी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं आई है;
10. यह बिना चोट का मामला है; बरामदगी मेमो तैयार करने के समय कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय गवाह मौजूद नहीं था, समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त इरशाद को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने या उन पर दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है, वह 11.7.2025 से जेल में बंद है, मुकदमे के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक शासनादेश, मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) ला सूट 677 के मामले में शीर्ष अदालत के पैराग्राफ संख्या 53, भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में शीर्ष अदालत के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए; (2022) 10 एससीसी 51 और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को उसके द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बांड और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि: -
 - (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों को नहीं धमकाएगा।
 - (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।
 - (iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
 - (iv) आवेदक (i) मामला खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) उसके विरुद्ध साक्ष्य में आने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए अभियुक्त के बयान दर्ज करने हेतु नियत तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
 - (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार सख्ती से उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।
8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

18 मार्च, 2026

(संतोष राय, न्यायमूर्ति)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।